## बिपूरा में तेल की खोज

4501. भी विश्वेद सर्थाः लगा पेट्रोलियम और शाकुशिक तैस मही उद्ध समारि को लगा रु रेंगे दिर.

(क) ाा यह लच है कि त्रिपुरा केव में कच्ने तेल की संभावनाकों का पता लगाने के बाद वहां तेल निकालने का काम प्रारंभ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम लव प्रारंभ किया क्या तथा उस क्षत्र में प्रति-दिव तेल का किनना स्रीसत उत्पादन लिया जाता है :

(ग) ज्या उत्र क्षेत्र में उत्पादन लागत के संबंध में कोई जनुमान लगाया गया है ;

(घ) यदि डॉ, तो कच्वे तेल और रैस की अनुवालित लागत कितनो है झौर क्या वहां उत्पार्धत गैस का उवरोग करों के लिए कोई धरियोजना तैयार की है, यदि लहां, तो उसके क्या कारण हैं. और

(ड) उस क्षेत्र में किंत*े* मूल्य की किंतनी गैस बिना उपयोग के व्यर्थ हो रही है ?

पेट्रोलियम और प्राक्ततिक गैस मंत्री (भी बी. शंकरानम्ब): (क) जी, नहीं । तिपुरा में तेल के किसी वाणिज्यिक भडार का पता नहीं चला है ।

(ख) ग्रीर (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार, तिपुरा में वर्ष 1991-92 के दौरान गैस की प्रौसत उत्पादन लागत 11,848 रुपए प्रति 1000 घन मीटर आती है। 1.74 एम एम एस सी एम डी गैस का सुनिश्चित आवंटन और 3.4 एम एम एस सी एम डी गैस का "सिद्धांत रूप में" आबंटन किया गया है । वर्ष 1991-92 में तिपुरा में गैस का उपयोग 0.22 एम एम एस सी एम डी था। (इ.) लिपुरा की गैस चूंकि "असम्बद्ध" गैभ हे, अनः इसका दहन नहीं किया जाता हे बलिक आवस्ययतानुसार इसका उत्पादन किया जाता है । इपलिक, कोई गैस व्यर्थ वहीं ा रही है ।

मिलावटी पेट्रोल की बिकी

4502 श्री राम गोपाल वादवः ज्या देट्रोलियम श्रीर प्राक्नतिक गैस मली प्रद्य बतारे की इत्या करेंगे कि :

(क) तथा दिल्ली और नातपुर के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग स०-2 पर पैट्रोल प्रग्वों पर पैट्रोल में मिट्टी का तेल भिलान आहे के अंबंध में ओई सिकायत प्राप्त पुर्ह ने : आह

(ख) इस मिलाबर को रोपण के रिष्णु सरकार द्वारा प्या उपाय केए जा भी हैं !

पेट्रोलिजर और प्राकृतिक गैस संदी (श्रं बी. शंकरानम्ब) : (क) यद्यपि मिलावट के संबंध में धाम शिकायतें प्राप्त होती हैं, परंतु दिल्ली और कालपुर के बीच राअमागे नं. 2 पर मिलावट के संबंध में विश्वेष शिकायत सरकार को नहीं प्राप्त हई है ।

(ख) पैट्रोल और डीजल में भिजावड रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :---

(1) तेल क्रॅपनी के अधिकारियों इारा नियमित और अचानक निरीक्षण ।

(2) एम एस और एच एस दी नियंत्रण प्रादेश, 1990 के मधीन भनत्व की जांच ।

(3) चुर्निवा स्थानों पर फरफुरल के साथ मिटेटी के तेल की डोपिंग ।

(4) चल-प्रयोगशालाओं द्वारा श्रचानक निर्गक्षण ।

(5) राज्य सरकारों द्वारा बुदरा बिक्री केंद्रों का ग्रेंचानक निरीक्षण।